



इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय Indira Gandhi National Tribal University

Inspiring Students, Empowering Society

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित केन्द्रीय विद्यालय)


(A Central University Established by an Act of Parliament)

दिनांक:— 22.06.2020

शुद्धि पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या D.O.No.61-1/2018-Desk (U) दिनांक 16.06.2020 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही सेवाकर्मियों की नियुक्ति करेगा। विश्वविद्यालय में आउट-सोर्स एजेंसियों से लिये जाने वाले कर्मियों की नियुक्ति हेतु स्वीकृत पदों की संख्या सीमित है। अतएव सुरक्षा, सफाई एवं अन्य आवश्यक सेवा क्षेत्रों में केवल स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही कर्मियों की सेवाएं संबंधित सेवा प्रदायक एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से संबंधित आवश्यक पदों की संख्या में वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आउट-सोर्स एजेंसियों के माध्यम से लिए जाने वाले कर्मियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है।


22/6/2020
कुलसचिव